



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16072025-264720
CG-MH-E-16072025-264720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3171]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2025/आषाढ़ 25, 1947

No. 3171]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2025/ASHADHA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 15 जुलाई, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 3241(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 25 जून 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2450 (E) तारीख 25 जून 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के जलगांव एवं नाशिक जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "मनमाड-जलगांव 4th लाइन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव, जिला जलगांव दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् “दैनिक सकाळ” और “दैनिक देशोन्नती” में तारीख 24-04-2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों कि सुनवाई कि गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसार मे आदेश पारित कर दिये गए है.

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 3 गाँव का विशेष रेल परियोजना “मनमाड-जलगाव 4th लाइन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गांव का नाम	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक नाम	सर्वेक्षण संख्या	जमीन धारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर.)
1	34/2025	खरजई	चाळीसगाव	राजेंद्र भाऊराव अहिरे, सागरबाई भावराव अहिरे	71/1अ+1ब	I	0.72	0.06
2				सुरेखा ईश्वर पाटील	80/1	I	0.64	0.11
3				धोंडू दामू पाटील	80/2	I	0.64	0.12
4				नारायण जगन्नाथ पाटील, भूषण जगन्नाथ पाटील, माधवराव जगन्नाथ पाटील	80/3	I	1.22	0.25
						कुल	3.22 (हे. आर.)	0.54 (हे. आर.)
1	35/2025	वडाळा-वडाळी	चाळीसगाव	कलाबाई संतोष आमले, हनुमंत संतोष आमले, भाऊसाहेब संतोष आमले	91	I	0.58	0.020
2				शंकर देवचंद पाटील	94	I	0.13	0.13
3				काशीनाथ रघुनाथ पाटील, गोरखनाथ पाटील, मछिंदरनाथ रघुनाथ पाटील	95	I	2.72	0.65
						कुल	3.43 (हे. आर.)	0.80 (हे. आर.)
1	36/2025	पातोंडा	चाळीसगाव	जगन्नाथ सुभाष माळी	772	I	1.35	0.41

अ.क.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गांव का नाम	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक नाम	सर्वेक्षण संख्या	जमीन धारणा प्रणाली	7/12 के अनुसारकुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर.)
2				अशोक खुशाल माळी, धर्मा खुशाल माळी, भिकन खुशाल माळी	778	I	2.72	0.67
						कुल	4.07 (हे. आर.)	1.08 (हे. आर.)
						कुल योग (हे.आर.)	10.72 (हे. आर.)	2.42 (हे. आर.)

[फा. सं. G197/Manmad-Jalgaon 4th line/Kharzai+2 Vlg/July/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th July, 2025

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3241(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 2450 € dated 25th June 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 25th June 2024 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Manmad-Jalgaon 4th Line** in the district of **Jalgaon & Nashik** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for Sub Divisional Officer/Pachora in **daily newspapers namely “Dainik Sakaal” & “Dainik Deshonnati”** Dated 24-04-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received. Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of Section D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of **Manmad-Jalgaon 4th Line** for 3 village in the District **Jalgaon** in the State of Maharashtra

S.N.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Taluka	Land Owners Name according to 7/12	Survey No./Gatt No.	Land Holding Method	Area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	34/2025	Kharzai	Chalisgaon	Rajendra Bhaurao Ahire & Sagarbai Bhaurao Ahire	71/1A+1B	I	0.72	0.06
2				Surekha Eshwar Patil	80/1	I	0.64	0.11
3				Dhondur Damu Patil	80/2	I	0.64	0.12
4				Narayan Jagannath Patil, Bhushan Jagannath Patil, Madhavrao Jagannath Patil	80/3	I	1.22	0.25
						Total	3.22 (Ha.)	0.54 (Ha.)
1	35/2025	Vadala-Vadali	Chalisgaon	Kalabai Santosh Aamle, Hanumanth Santosh Aamle, Bhausaheb Santosh Aamle	91	I	0.58	0.020
2				Shankar Devchand Patil	94	I	0.13	0.13
3				Kashinath Raghunath Patil, Gorakhnath Patil, Machindarnath Raghunath Patil	95	I	2.72	0.65
						Total	3.43 (Ha.)	0.80 (Ha.)
1	36/2025	Patonda	Chalisgaon	Jagannath Subhash Mali	772	I	1.35	0.41
2				Ashok Khushal Mali, Dharma Khushal Mali, Bhikan Khushal Mali	778	I	2.72	0.67
						Total	4.07 (Ha.)	1.08 (Ha.)
						Grand Total	10.72 (Ha.)	2.42 (Ha.)

[F. No. G197/Manmad-Jalgaon 4th line/Kharzai+2 Vlg/July/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)